



**सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां**  
**राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण**  
*(रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति के अनुसार)*  
*(करोड़ रुपए)*

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
7. विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
8. अन्य	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
<b>कुल जोड़</b>	3,05,519.10 (331)	2,53,244.20 (289)	52,274.90 (42)	10,818.77 (4)	...	...	2,94,700.33 (327)	1,052.71	775.74	....

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

**टिप्पणी:**

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- ब.अ. 2015-16 में सूचित 31.03.2014 को अंतिम शेष में भिन्नता अर्थात ₹ 3,741.51 करोड़ और 1.4.2014 के आरंभिक शेष, जैसा ऊपर बताया गया है, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और रिकार्डों में मिलान की वजह से है।
- वर्ष 2014-2015 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 41,456.13 करोड़ (कॉलम 4-5-6) है जो वर्ष 2014-2015 (सं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.33 प्रतिशत है।
- ₹ 65,786.31 करोड़ की गारंटियों को वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए वचनबद्ध/अनुमोदित किया है जोकि अनुमानित स.घ.उ. के 0.5% के भीतर है।